

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजनऊ।

संख्या - प्राविधा/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

संखनऊ- दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय न्याय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैडिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किये गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का शीर्षक एवं नाम : 2022-BEIKO COLLEGE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआईआर पीसीआईओ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/3/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की शीर्ष के विरुद्ध सार्वीय न्यायक्षेत्र में पंजीकृत रिट पत्रिका संख्या 6027/2023 में नानवीय न्यायक्षेत्र के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निश्चित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसाली 1992, विनियमसाली-2000, तैमोसर विनियमसाली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनवादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनवादेश सम्बन्धी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाया है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रयोग दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनवादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविधिक परिषद संघीय सम्बद्धता/2022/10770

लखनऊ दिनांक: 15/12/2022

अध्यापित ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यवाही काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा भौतिक संघ 2022 का हेतु डिप्लोमा तबीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सत्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अन्तर्गत में संस्थाओं को सम्बद्धता एवं तत्समय पीसीआई द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पीसीआई के पत्र संदर्भ संख्या 14-143/2022-PCI/Approval Process/2022-2023/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत संस्थानों से पूर्व में इण्डिया कौंसिल के निरीक्षण का रिजल्ट एस-आई(एफ) एवं अडवोड करते हुए निर्धारित प्रारूप पर राज्य पर दखिख करने के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन संस्थानों के साथ साथ राज्य पर लेखर बहाल की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस पत्र के साथ प्रदान की जाती है कि परिषद में संस्था के निरीक्षण के समय एस-आई(एफ) का संयोजन करना होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 2022-SBKID COLLEGE OF PHARMACY

कॉर्स	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदान सशोक्षित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एस-आई(सी)टीआई(पीसीआई) द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1987 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली 2000, सेमेस्टर विनियमावली 2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु ₹10,30,00.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹10,45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹10,22,500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर संसन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शैला निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु कोर्स का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कोर्स की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- प्राशिव/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

संखनऊ: दिनांक- 09/08/2021

कार्यालय न्याय:

भारतीय फार्मसी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 2022-BEIKO COLLEGE OF PHARMACY,VILL-NARAINPUR,POST-HARAUNI,SAROJNINAGAR,NARAINPUR,LUCKNOW-226104

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आइ० द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आइ० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1962, सेक्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22300.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के साथ-साथ पर शरात द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होने और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना, विनियमवारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शैलों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उ०प्र० प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आइ० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राशिप/परिषद/सम्पन्नता/2020/1971

संख्याक: दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय द्वारा—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्रधानी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विषयगत राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पन्नता/सम्पन्नता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्पन्नता/पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्पन्नता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समतल कृत्रिम अर्थ मूल्यांकन विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्पन्नता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्पन्नता समिति की बैठक के मद्देन में विज्ञापन इन फार्मों की माध्यम से स्थापित करने वाली पूर्व से स्थापित संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्पन्नता समिति द्वारा सत्र विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया -

विश्वी शैक्षिक संस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व से सम्पन्न है, एन सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा जारी यथासक्य अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार प्रत्येक नाम के सामूहिक अथवा पाठ्यक्रम/प्रवेश समतल के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्पन्नता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्पन्नता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्पन्नता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था की प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अथवा प्रवेश समतल हेतु सम्पन्नता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समतल	पीसीआईई / परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समतल
1	2020	श्रीमती विजय लक्ष्मी पाटील, डिप्टी-सुपरिन्टेंडेंट, सी-ब्लॉक, शांति नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।	विज्ञान एवं गणित	10	10

सम्पन्नता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों की 1988, संशोधन विनियमों की-2019 तथा अन्य विधि विधानों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्धारित शर्तों द्वारा निर्धारित मुख्य तीन शर्तों अर्थात् पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30,00,000/- प्रत्येक को राष्ट्रीय प्राथमिक पाठ्यक्रम हेतु रु. 15,00,000/- प्रत्येक एवं इन रु. में शेष दो राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय प्राथमिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, हेतु रु. 10,00,000 अतिरिक्त राशि की प्रत्येक द्वारा/द्वारा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अग्र/राज्य में मुख्य के अभाव में राधा, राधा पर आधारित द्वारा निर्धारित किये जाने वाले समतल पर प्राथमिक शर्तों, और अनुमोदन कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। पीसीआईई समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाता है, तो शेष की आवश्यकता नहीं अनुभव होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषदों तथा उत्तर प्रदेशों, संस्थाओं को सम्पन्नता विचार प्रयोग विनियमों की-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।